राज्यपाल सचिवालय

राज भवन

राजस्थान, जयपुर।

कमांक प.1(11)राभ/2015/3299 दिनांक:18.05.2015

कार्यवाही विवरण

राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 5 मई, 2015 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन राजस्थान जयपुर में आयोजित हुई।

बैठक मे उपस्थित प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर उपलब्ध है।

बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा सभी प्रतिभागियों का बैठक में स्वागत किया गया। समस्त प्रतिभागियो से औपचारिक परिचय उपरांत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा अपने संबोधन में शिक्षा को एक पवित्र कार्य बताते हुए, कहा कि आप सभी शिक्षा से वर्तमान पीढ़ी तथा भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो एक बड़ा पुनीत कर्तव्य का कार्य है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के संबंध में कहा गया कि स्वायत्तता कुछ नियमों एवं परम्पराओं से मर्यादित है। स्वायतता का अर्थ स्वच्छदंता नहीं हो सकता। उन्होनें विश्वविद्यालयों में नियमित पठन–पाठन एवं छात्रों की निर्धारित मानदण्डों अनुसार 75% उपस्थिति की अनिवार्यता पर बल दिया। शिक्षकों का कक्षाओं में नियमित रूप से नहीं जाने को, उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं मानते हुए, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा सुझाया गया कि यदि शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं में जायें, तो छात्रों की उपस्थिति स्वतः ही बढ़ जायेगी। उन्होंनें विश्वविद्यालयों में शासन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश दिए। परीक्षाओं में नकल की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिन्ता जाहिर करते हुए उन्होनें नकल मुक्त परीक्षाएं आयोजित किये जाने के निर्देश दिये। जिन महाविद्यालयों में नकल से संबंधित गंभीर प्रकरण (यथा सामूहिक नकल) प्रकट हो रहे हैं उनके संबंध में संबंधित कॉलेज का परीक्षा केन्द्र निरस्त करने, कॉलेज की सम्बद्धता समाप्त करने तथा प्रकरण में पुलिस में तुरन्त FIR दर्ज कराने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा राजभवन के आदेश कमांक प.1(5)राभ/2015/2003 दिनांक 30.03.2015 तथा कमांक 2776 दिनांक 30.04.2015 के अनुरूप निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के कम में बैठक प्रारम्भ की गई जिसमें निम्नानुसार विचार–विमर्श एवं निर्णय हुए:–

A. <u>गत बैठक दिनांक 04.07.2014 के कार्यवाही विवरण तथा राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों से प्राप्त पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।</u>

B. राज्य सरकार से संबंधित बिन्दु

1. विश्वविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्तिओं के संबंध में –

कार्यवाही विवरणः–

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में 4186 स्वीकृत शैक्षणिक पदों के विरूद्ध 1960 पद रिक्त हैं जो कुल पदों का 46.08% है। इसी प्रकार 8931 अशैक्षणिक स्वीकृत पदो के विरूद्ध 3407 पद रिक्त हैं जो कुल पदों का 38.01% है (विवरण परिशिष्ट–2 पर)। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बड़ी संख्या में रिक्त पदों की स्थिति पर चिन्ता जाहिर करते हुए इन पदों को शीघ्र नियमानुसार भरे जाने पर जोर दिया।

(ii) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि वित विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 दिनांक 01.04.2015 के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा दिनांक 01.04.15 से पूर्व जिन स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किये गये हैं, उन पदों पर अब भर्ती से पूर्व वित विभाग से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। उक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में राज्य के 13 विश्वविद्यालयों (विवरण परिशिष्ट–3 पर) द्वारा राज्य सरकार को भर्ती के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग को उक्त प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देश दिये गये जिसके संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से अब तक प्राप्त प्रस्तावों में तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रस्तावों पर वित्त विभाग की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शेष विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को प्राप्त होने पर शीघ्र ही सहमति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

निर्णयः– उक्त 13 विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावे।

समय सीमाः– 15 दिवस

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– विश्वविद्यालयों के संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग

(iii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा शेष विश्वविद्यालयों, जिन्होने अभी तक स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये हैं, को उक्त प्रस्ताव तुरंत राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये। कतिपय विश्वविद्यालयों ने अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित कर दिये गये हैं जिस पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उक्त प्रस्तावों की प्रति पुनः प्रेषित किये जाने बाबत निर्देश दिये गये। प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग द्वारा आग्रह किया गया कि अशैक्षणिक पदों से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व यह समीक्षा की जावे कि

जो सेवायें आउट सोर्सिन्ग (out sourcing) के माध्यम से ली जा सकती हैं उनसे संबंधित पदों की आवश्यकता है क्या ?

निर्णयः– शेष 12 विश्वविद्यालय स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभागों को प्रस्तुत करें।

समय सीमाः– 15.05.2015

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालय एवं उनके प्रशासनिक विभाग

(iv) कतिपय कुलपतियों द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर भर्ती से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लिये जाने के प्रतिबन्ध को हटाये जाने बाबत आग्रह किया गया जिस पर प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग द्वारा असहमति जाहिर करते हुए यह आश्वासन दिया गया कि भर्ती के संबंध में प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावों को सात दिवस की अवधि में निस्तारित कर दिया जावेगा।

(v) बैठक में विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक संवर्गों में UGC norms के अनुसार पद स्वीकृत नहीं होने के कारण UGC की धारा 12(B) अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को मान्यता नहीं मिलने से UGC अनुदान प्राप्त नहीं होने का उल्लेख किया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालयवार प्रकरण प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने बाबत आश्वासित किया गया।

निर्णयः– समस्त विश्वविद्यालय UGC की धारा 12(B) अन्तर्गत मान्यता हेतु वांछित शैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालय एवं उनके प्रशासनिक विभाग

(vi) तकनीकी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण द्वारा सेवानिवृत शिक्षकों का गेस्ट फेकल्टी के रूप में उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया गया तथा यह आग्रह किया गया कि NET/SLET पास अन्य योग्य व्यक्तियों को भी गेस्ट फेकल्टी के रूप में आमंत्रित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जावे। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा उक्त संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर समुचित निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया।

निर्णयः– संबंधित विश्वविद्यालय इस संबंध में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालय, उनके प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग

(vii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा भर्ती के संबंध में संक्षिप्त में तीन अहम निर्देश दिये गयेः–

1. अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति से पूर्व इन पदों की उपादेयता की समीक्षा की जावे;

2. भर्ती से संबंधित प्राप्त होने वाले प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा समीक्षा कर एक सप्ताह में समुचित निर्णय लिया जावेगा तथा

3. विश्वविद्यालयों को UGC की धारा 12(B) अन्तर्गत मान्यता हेतु पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक पद स्वीकृत किये जाने बाबत राज्य सरकार द्वारा शीघ्र समुचित निर्णय लिया जावेगा।

निर्णयः– बिन्दु संख्या vii के अनुरूप

समय सीमाः– पूर्ववर्ती संबंधित बिन्दुओं में वर्णित समय सीमा के अनुरूप

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय, उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग

(viii) विश्वविद्यालयों द्वारा गेस्ट फैकल्टी को दिये जा रहे पारिश्रमिक को बढ़ाये जाने के संबंध में भी आग्रह किया गया जिस पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर उचित निर्णय लिया जावेगा।

निर्णयः– गैस्ट फैकल्टी को मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव विश्वविद्यालयों द्वारा अपने प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किये जायेंगे।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय, उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग

(ix) विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव आदि पदों के संबंध में योग्यता UGC के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा वेतन राज्य सरकार के निर्धारित वेतनमानों के अनुसार रखे जाने की विसंगति के कारण उक्त पदों पर उपर्युक्त व्यक्ति नहीं मिलने /भर्ती नहीं हो पाने का मुद्दा उठाया गया जिस पर प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिये जाने का आग्रह किया।

निर्णयः– उक्त विसंगति के संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

समय सीमाः– तीन माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग

2. विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद

कार्यवाही विवरणः–

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया कि विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार एवं नियंत्रक वित्त के दो महत्वपूर्ण पद हैं जो राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े नियंत्रक वित्त के समस्त पदों पर बैठक की पूर्व संध्या पर पदस्थापन कर दिये गये हैं जिसके लिए प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग का आभार व्यक्त किया गया तथा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने बाबत कार्यवाही किये जाने का आग्रह किया।

निर्णयः– विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र पदस्थापन किया जावे।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– कार्मिक विभाग

(ii) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले अन्य पदों जिनमें लेखाकर्मी, विधि अधिकारी, संपदा अधिकारी, अभियंता आदि हैं को भी शीघ्र भरे जाने हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से आग्रह किया।

निर्णयः– विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति वाले अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जावें।

समय सीमाः– दो माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– वित विभाग/विधि विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग

3. विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता/अनुदान के संबंध में

कार्यवाही विवरणः–

प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में से 15 विश्वविद्यालयों को नॉन–प्लान मद अन्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है जिसके संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अथवा वित्त विभाग स्थिति स्पष्ट करें। इस पर विश्वविद्यालयों द्वारा अवगत कराया कि नॉन–प्लान मद अन्तर्गत वेतन भत्तों हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है परन्तु वर्किन्ग कैपीटल (working capital) एवं कंटीन्जेन्सी (contingency) हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली ब्लॉक ग्राण्ट हेतु निर्धारित फार्मुला की पुनर्समीक्षा तथा विश्वविद्यालयों के पेन्शन फण्ड हेतु भी राज्य सरकार से अनुदान मिलने बाबत आग्रह किया गया। प्रमुख शासन सचिव, वित्त द्वारा अवगत

कराया गया कि विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले ब्लॉक ग्राण्ट से संबंधित फार्मुला कुलपतियों की समिति द्वारा वर्ष .2010 में निर्धारित किया गया था जिसके अनुरूप विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट दी जा रही है। जहाँ तक पेन्शन फण्ड हेतु अनुदान का प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह निर्धारित कर दिया गया है कि पेन्शन फण्ड को संधारित करने का काम संबंधित नियोक्ता प्राधिकारी का है। विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी आय में से पेन्शन फण्ड अंशदान हेतु समुचित प्रावधान नहीं किये जाने के कारण पेन्शन भुगतान की समस्या विश्वविद्यालयों में आ रही है। विश्वविद्यालयों को अपनी आय में से आवश्यकतानुसार पर्याप्त अंशदान पेन्शन फण्ड हेतु करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालयों को पेन्शन फण्ड हेतु ऋण दिये गये हैं परन्तु यह व्यवस्था उचित नहीं है। विश्वविद्यालयों को अपनी आय के स्त्रोत बढ़ाकर आत्म निर्भर बनना चाहिये।

प्रकरण में विचार विमर्श उपरान्त माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा 6 सदस्यीय कमेटी गठित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये जो विश्वविद्यालयों को मिलने वाली ब्लॉक ग्राण्ट के फार्मूले की पुनर्समीक्षा तथा विश्वविद्यालयों द्वारा पेन्शन फण्ड के संधारण में आ रही समस्याओं तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार कर उचित अभिशंषाएं करेगी।

निर्णयः– विश्वविद्यालयों को देय ब्लॉक ग्राण्ट के फार्मुले तथा पेन्शन फण्ड संधारण में आ रही समस्याओं तथा राज्य सरकार द्वारा पेन्शन हेतु अनुदान के संबंध में विचार विमर्श हेतु निम्नांकित कमेटी गठित की गयीः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशु पालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. **प्रमुख सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर – संयोजक**
4. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
6. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

समय सीमाः– तीन माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– राज्यपाल सचिवालय तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

4. नवीन विश्वविद्यालयों को पूर्ण कियाशील करने बाबत्

कार्यवाही विवरणः–

(i) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 तथा 2013 में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी जिनमें से निम्नांकित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार अभी हाल ही में निर्धारित कर दिये

गये हैं परन्तु अभी तक अशैक्षणिक रिक्त स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं होने, विश्वविद्यालयों के अपने भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं / सुविधायें नहीं होने से यह विश्वविद्यालय पूरी तरह कार्यशील नहीं हो पाये हैं।

1. राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
2. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
3. पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि इन विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिये गये हैं जिसमें मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर जिले के अधीन अलवर जिले के समस्त सामान्य, विधि एव बी.एड. महाविद्यालय होंगे। इसी प्रकार सीकर जिले हेतु जिला सीकर एवं झुन्झुनू के समस्त सामान्य, विधि एव बी.एड. महाविद्यालय तथा बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के अधीन भरतपुर एवं धौलपुर जिले के समस्त सामान्य, विधि एव बी.एड. महाविद्यालय होंगे। पदों को भरे जाने के संबंध में प्रत्येक विश्वविद्यालय में कॉलेज शिक्षा विभाग से 5 कार्मिक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय से 3–3 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये हैं। रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय ले लिया जायेगा। प्रारम्भिक 2–3 वर्ष में उक्त विश्वविद्यालय एक प्रशासनिक विश्वविद्यालय की तरह कार्य करेंगे जिसमें इनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किये जाने का कार्य होगा। तत्पश्चात उक्त विश्वविद्यालयों के संघटक कॉलेज स्थापित होने / विश्वविद्यालय में विभाग गठित होने पर शैक्षणिक पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार किया जावेगा।

निर्णयः– उक्त तीनों विश्वविद्यालयों को पूर्ण कार्यशील बनाये जाने हेतु राज्य सरकार से समुचित संसाधन एवं भर्तियों इत्यादि हेतु समुचित प्रस्ताव विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जावें जिन पर राज्य सरकार शीघ्र उचित निर्णय लेकर वांछित स्वीकृतियॉ जारी करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालय तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(ii) राज्य सरकार की केबिनेट सब कमेटी के विचाराधीन निम्नांकित विश्वविद्यालयों के संबंध में भी शीघ्र निर्णय लिये जाने का माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा आश्वारान दिया गयाः–

1. सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
4. राजीव गाँधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर

निर्णयः– उक्त चार विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेवे।

समय सीमाः– तीन माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

5. विश्वविद्यालयों में अन्य विभाग /संकाय खोले जाने के संबंध में

कार्यवाही विवरणः–

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि 7 विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य विभाग/संकाय/संगठक महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव (परिशिष्ट–4) राज्य सरकार को प्रेषित किये हुए हैं जिन पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रस्तावों का शीघ्र परीक्षण कर उचित निर्णय लिये जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया।

निर्णयः– विश्वविद्यालयों में अन्य विभाग /संकाय /संगठक महाविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेवे।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक विभाग

6. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संबंध में

कार्यवाही विवरणः–

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को निर्देश प्रदान किये कि समुचित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करें तथा राज्य सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि उक्त प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेकर विश्वविद्यालयों की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जावे। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने अवगत कराया कि 50 राजकीय महाविद्यालयों से उक्त परियोजना अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं तथा राज्य के पात्र विश्वविद्यालयों से इस संबंध में प्रस्ताव मांग गये हैं।

निर्णयः– विश्वविद्यालय शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग

(ii) आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा परियोजना के प्रावधान एवं पात्रता के संबंध में विस्तारपूर्वक बताते हुए अवगत कराया गया कि परियोजना अन्तर्गत रू.20.00 करोड़ इन्फास्ट्रक्चर ग्राण्ट के रूप में प्रत्येक विश्वविद्यालय को देय है तथा इसमें हॉस्टल, टॉयलेट्स, क्लास रूमस, प्रयोगशालायें, बिल्डिंग, ओडिटोरियम, लाईब्रेरी आदि के लिए ग्राण्ट देय है। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना अन्तर्गत छः विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया है:–

1. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालयं, बीकानेर
2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
6. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

इन विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगीं।

<u>निर्णयः–</u> उक्त छह विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के चाहेअनुसार शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करें।

<u>समय सीमाः–</u> एक माह

<u>कार्यकारी विभाग / विश्वविद्यालयः–</u> –संबंधित विश्वविद्यालय

–उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

–आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

7. <u>च्वाईस बेस्ड केडिट सिस्टम तथा केडिट फ्रेमवर्क फोर स्किल्स लागू किये जाने के संबंध में</u>

<u>कार्यवाही विवरणः–</u>

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 से समस्त विश्वविद्यालयों में CBCS तथा केडिट फ्रेमवर्क फोर स्किल्स सिस्टम लागू किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम में समस्त विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकार से इस संबंध में समुचित व्यवस्थायें किये जाने बाबत राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा इस व्यवस्था को लागू किये जाने के संबंध में कठिनाइयों का वर्णन करते हुए अवगत कराया कि जबतक विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक पद भरे हुए नहीं होंगे तबतक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। इस पर प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार एवं समस्त विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के

निर्देशानुसार उचित कार्यवाही कर तथा समय पर उक्त सिस्टम लागू किये जाने की समुचित व्यवस्था करनी है।

निर्णयः– समस्त विश्वविद्यालय, भारत सरकार के चाहे अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2015–16 से CBCS लागू किये जाने के संबंध गें रामुचित व्यवस्थायें करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विंश्वविद्यालय तथा उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग

विश्वविद्यालयों से संबंधित बिन्दु

1. **विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में नियमित रूप से कक्षाएँ लगाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शिक्षकों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कक्षा लेने, जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम है उनके अभिभावकों को सूचित किये जाने के संबंध में:–**

कार्यवाही विवरणः–

(i) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस विषय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थाओं पर खेद प्रकट करते हुए विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल को तुरन्त ठीक किये जाने बाबत मन्शा जाहिर की गयी।

(ii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं लगाने, छात्रों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विश्वविद्यालयों द्वारा शीघ्र सुधारात्मक कदम कड़ाई से उठाये जाने के निर्देश दिये गये।

(iii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालयों द्वारा निम्नाकिंत दो व्यवस्थायें प्रभावी रूप से लागू कर लेने से छात्रों की कम उपस्थिति की समस्या से निजात पायी जा सकती है:–

1. विश्वविद्यालय प्रबन्धन कक्षाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें;

2. जिन बच्चों की उपस्थिति 75% से कम है उनके संबंध में विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जावे।

(iv) इसके साथ ही माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलाधिपतिगण को निर्देश दिये गये कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर कक्षाओं में अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें।

निर्णयः– 1. विश्वविद्यालय प्रबन्धन कक्षाओं में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें;

2. जिन बच्चों की उपस्थिति 75% से कम है उनके संबंध में विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित किया जावे

3. समस्त कुलपति नियमित रूप से विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर कक्षाओं में अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

2. विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा प्राईवेट ट्यूशन्स के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा प्राईवेट ट्यूशन्स दिये जाने की प्रवृत्ति को रोके जाने हेतु उचित व्यवस्था किये जाने तथा प्राईवेट ट्यूशन्स के संबंध में विश्वविद्यालयों में लागू नियमों एवं U.G.C. के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये जाने बाबत समस्त कुलपतिगण को निर्देश दिये।

निर्णयः– विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु प्राईवेट ट्यूशन्स के संबंध में विश्वविद्यालयों में लागू नियमों तथा U.G.C. के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

समय सीमाः– निरन्तर

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

3. परीक्षा प्रणाली में सुधार एवं नकल रोके जाने के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

(i) प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा समस्त कुलपतिगण से विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के दौरान Rajasthan Public Examination (prevention of unfair means) Act 1992 का सख्ती से पालन किये जाने का आग्रह किया गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा नकल के गम्भीर प्रकरणों यथा सामूहिक नकल इत्यादि में तुरंत FIR दर्ज कराई जाकर निम्नांकित व्यवस्थाऐं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गयेः

(अ) परीक्षा केन्द्र को तुरन्त निरस्त किया जाकर समीपस्थ अन्य महाविद्यालय में केन्द्र बनाया जाए;

(ब) संबंधित महाविद्यालय की विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त की जावे;

(स) परीक्षार्थियों को नवीन परीक्षा केन्द्र पर पहुँचाने की उचित व्यवस्था की जावे;

(द) प्रकरण से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भी प्रेषित की जावे तथा नकल में लिप्त महाविद्यालय की NOC रद्द किये जाने बाबत आग्रह किया जावे।

निर्णयः– बिन्दु संख्या 3(i) में वर्णित कार्यवाही अनुसार।

समय सीमाः– आवश्यकतानुसार निरन्तर कार्यवाही हेतु स्थायी व्यवस्था की जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

(ii) पाठकम के सिलेबस तथा curriculum की नियमित रूप से समीक्षा की जा कर उसे नवीनतम तथा उपादेयता की दृष्टि उपयुक्त बनाया जावे।

(iii) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उपरोक्त के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण से चाहा गया कि उपरोक्त बिन्दु पर विचार कर समुचित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावे।

(iv) हॉल ही में विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन पद्धति पर कुछ नकारात्मक समाचार दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित हो रहे हैं। इनमें परीक्षकों को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु कम पारिश्रमिक मिलने का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में समस्त कुलपतिगण एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्नातक स्तर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु रू.20/– तथा स्नातकोत्तर स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका परीक्षकों को रू.30/– पारिश्रमिक दिया जावे।जिन विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार नवीन पारिश्रमिक दरों से अधिक दर पर पूर्व से ही भुगतान किया जा रहा है उन विश्वविद्यालयों में पारिश्रमिक दरें यथावत लागू रहेंगी।

जिन परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य से इन्कार किया जावे उन्हें परीक्षा कार्यों हेतु अपात्र घोषित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे।

निर्णयः– परीक्षकों हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए निम्नानुसार पारिश्रमिक निर्धारित किया गयाः–

1. स्नातक – रू.20/– प्रति उत्तर पुस्तिका
2. स्नातकोत्तर – रू.30/– प्रति उत्तर पुस्तिका

समय सीमाः– सात दिवस

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

(v) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा वर्तमान में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के स्तर पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन UGC द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण सजगता एवं उत्तरदायी तरीके से किया जावे। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गुणवत्ता लाने की दृष्टि से समस्त विश्वविद्यालयों में केन्द्रीयकृत मूल्यांकन की व्यवस्था पर जोर दिया गया। समस्त विश्वविद्यालयों से विचार

विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी तथा कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में केन्द्रीयकृत मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जावे जिसमें प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन 5 घण्टे की डयूटी तथा अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु दी जावे। तकनीकी तथा कृषि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था हेतु विचार करें तथा जहॉ सम्भव हो वहॉ पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू की जावे। जिन विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो ऐसे विश्वविद्यालयों मे केन्द्रीयकृत व्यवस्था हेतु एक से अधिक स्थान पर व्यवस्था की जा सकती है। पुनर्मूल्यांकन के ऐसे प्रकरण जिनमें अप्रात्यशित रूप से प्राप्ताकों में वृद्धि हुई है, ऐसे प्रकरण का तृतीय मूल्यांकन किया जाकर सत्यापन कराया जावे तथा मूल मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकन, जिस स्तर पर भी अनियमितता प्रकट हो तो संबंधित दोषी परीक्षकों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही अमल में लायी जावे।

निर्णयः– **अ.** तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन की केन्द्रीयकृत व्यवस्था होगी।

ब. प्रत्येक परीक्षक को प्रतिदिन 5 घण्टे की डयूटी तथा अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु दी जावे।

समय सीमाः– आवश्यकतानुसार निरन्तर कार्यवाही हेतु स्थायी व्यवस्था की जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

4. अकेडमिक कलैण्डर के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

(i) माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को निर्देश प्रदान किये गये कि शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में ही एक शैक्षणिक कलैण्डर तैयार किया जाना चाहिए जिसमें प्रवेश, परीक्षा एवं परिणाम के लिए एक तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित हो। इस प्रकार कलैण्डर तैयार करने में समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता होनी चाहिए। इसी तरह डिग्री एवं अंकतालिका के वितरण हेतु भी तिथिवार कार्यक्रम होना चाहिए।

निर्णयः– समस्त विश्वविद्यालयों में सत्र के प्रारम्भ में शैक्षणिक कलैण्डर घोषित किया जावे। जिसमें समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता हो।

समय सीमाः– सत्र 2015–16 हेतु दिनांक 15.06.2015 तक

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय तथा उनके प्रशासनिक विभाग।

(ii) विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अवकाशों के अतिरिक्त अन्य अवकाश का कलैण्डर राज्य सरकार के राजपत्रित अवकाशों के अनुरूप होना चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार से इतर अन्य अवकाश घोषित नहीं किये जाने चाहिए। राज्य सरकार में विश्वविद्यालयों के संबंधित प्रशासनिक विभाग इस संबंध में समुचित दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी करें।

निर्णयः– समस्त विश्वविद्यालयों में राजपत्रित अवकाशों का कलैण्डर राज्य सरकार के कलैण्डर के अनुरूप होगा।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– संबंधित विश्वविद्यालय तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

(iii) **विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष 07 जुलाई तक सभी नियमित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने चाहिए।** इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम एक माह में घोषित किये जावें। परीक्षा परिणामों से विद्यार्थियों के परिजन को भी अवगत कराने की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को निर्देश प्रदान दिये गये।

निर्णयः– अ. प्रत्येक वर्ष 07 जुलाई तक सभी नियमित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने चाहिए।

ब. पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम एक माह में घोषित किये जावें।

समय सीमाः– आवश्यकतानुसार निरन्तर कार्यवाही हेतु स्थायी व्यवस्था की जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

5. बकाया डिग्रियों एवं मेडल्स के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा कतिपय विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से डिग्रियां एवं मेडल्स बकाया होने पर खेद प्रकट करते हुए संबंधित कुलपतिगण को इस बाबत शीघ्र कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय को बकाया डिग्रियों के मुद्रण एवं मेडल्स तैयार करने का कार्य दिनांक 31.05.2015 तक पूर्ण करने हेतु पुनः निर्देशित करते हुए शेष कुलपतिगण को वर्ष 2014 तक की परीक्षाओं की डिग्रियां तैयार कर अक्टूबर, 2015 से फरवरी 2016 के बीच दीक्षान्त समारोह आयोजित करने एवं तत्पश्चात प्रतिवर्ष माह नवम्बर से फरवरी माह के बीच एक निश्चित दिनांक को दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाकर नियमित रूप से डिग्रियां एवं मेडल्स का वितरण किया जावे। समस्त कुलपतिगण आगामी एक माह में उक्तानुसार तिथियां निर्धारित कर अवगत करावें।

निर्णयः– अ. वर्ष 2014 तक की डिग्रियां एवं मेडल्स तैयार कराये जाकर माह अक्टूबर, 2015 से फरवरी, 2016 के दौरान दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जावे।

ब. तत्पश्चात वर्ष 2015 से प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष एक निश्चित दिनांक को नियमित रूप से दीक्षान्त समारोह आयोजित करें।

समय सीमाः– अ. वर्ष 2014 तक की डिग्रियां एवं मेडल्स हेतु अक्टूबर, 2015 से फरवरी, 2016

ब. वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह हेतु एक निश्चित तिथि का निर्धारण – एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

6. विश्वविद्यालय छात्रावासों के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रावासों में केवल पात्र विद्यार्थियों को ही निवास करने की अनुमति दी जावे तथा अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में FIR दर्ज कराकर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के सुपर्द कर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे व्यक्तियों का विवरण अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावे।

निर्णयः– छात्रावासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में FIR दर्ज कराकर ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के सुपर्द किया जावे तथा विवरण विश्वविद्यालयों की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावे।

समय सीमाः– एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः– समस्त विश्वविद्यालय

7. एक गाँव गोद लेकर उसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के संबंध में।

कार्यवाही विवरणः–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलपतिगण को निर्देश प्रदान किये कि वे अपने क्षेत्र के किसी एक गाँव गोद लेकर उसे स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करें। ऐसे गावों को विकसित किये जाने के लिए वित्तीय संसाधन MP LAD, MLA LAD एवं विभिन्न दानदाताओं से प्राप्त किये जा सकते हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सभी कुलपतिगण से अपेक्षा की गयी कि वे प्रत्येक महिने में एक दिन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अनुरूप परिसर में सफाई का कार्य करें, परिसर में 50 पौधे लगाकर उनके भली प्रकार संरक्षण की व्यवस्था करें, विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए दीवारों पर आदर्श वाक्यों को लिखवायें तथा प्रति वर्ष 25 सितम्बर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर रक्त दान शिविर आयोजित कर सामाजिक जागरूकता लावें।

निर्णयः– विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में स्थित एक पिछड़े गांव को गोद लेकर उसे स्मार्ट विलेज में विकसित करे।

समय सीमाः– 15.06.2015

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय

8. **किसी एक विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाये जाने के संबंध में।**

कार्यवाही विवरणः—

प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण से आग्रह किया गया कि किसी एक विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वातावरण के उन्नयन, प्रशासनिक एवं परीक्षा वयवस्थाओं में सुधार, शिक्षकों/ विद्यार्थियों के कल्याणार्थ, पर्यावरण सुधार, प्रकियाओं में सरलता व सुगमता के संबंध में किये गये उत्कृष्ट कार्यों को अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जाकर लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा किये गये कार्यों /नवाचारों का उदाहरण देते हुए यह आग्रह किया गया कि समस्त विश्वविद्यालय इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्यों /नवाचारों की सूचना आपस में साझा करें एवं सुधारों को अंगीकृत कर लागू करें।

निर्णयः— विश्वविद्यालय उत्कृष्ट कार्यों एवं नवाचारों को आपस में साझा करें तथा आवश्यकतानुसार अंगीकृत करें।

समय सीमाः— आवश्यकतानुसार निरन्तर कार्यवाही हेतु स्थायी व्यवस्था की जावे।

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय

9. विश्वविद्यालयों हेतु प' आठ कार्यकम के संबंध में:—

कार्यवाही विवरणः—

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों हेतु एक प' आठ कार्यकम की घोषणा की गई जिसमें विश्वविद्यालयों से संबंधित गतिविधियों यथा प्रवेश, पढ़ाई, परिसर/परिवेश, परीक्षा, परीक्षण, परिणाम, पुनर्मूल्यांकन, पदक एवं पदवी से संबंधित निर्देश शामिल किये गये हैं। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा सुधार हेतु समस्त कुलपतिगण को उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही / उचित व्यवस्थाऐं हेतु निर्देशित किया गया। विशेषाधिकारी, राज्यपाल द्वारा उक्त प' आठ कार्यकम का विस्तृत विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया (परिशिष्ट—5)।

निर्णयः— प' आठ कार्यकम लागू किये जाने के संबंध में समस्त विश्वविद्यालय एक कार्य योजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्यकम लागू करेंगे।

समय सीमाः— एक माह

कार्यकारी विभाग/विश्वविद्यालयः— समस्त विश्वविद्यालय

बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार यथा समय पूर्ण अनुपालना किये जाने के निर्देशों के साथ धन्यवाद सहित बैठक सम्पन्न हुई।

(हरीश कुमार मालवानी)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

क्रमांक प.1(11)राम/2015/3300 दिनांक: 18.05.2015

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन, यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलात, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, जन जाति क्षेत्रीय विकास, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. कुलपति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
13. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलपति, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, पो0 भांकरोटा, जयपुर।
16. कुलपति, सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन राज0 विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

18. कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
19. कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
20. कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
21. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
22. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
23. कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
24. कुलपति, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
25. कुलपति, हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर।
26. कुलपति, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
27. कुलपति, पं0 दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
28. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
29. कुलपति, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
30. कुलपति, राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर।
31. कुलपति, राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू।
32. कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
33. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
34. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

Meeting of Vice Chancellor's Co-ordination Committee on 5th May, 2015 at 11.00 A.M. at Raj Bhawan, Jaipur
List of Participants

S.No.	Name and Designation
1	Shri Kalicharan Saraf, Hon'ble Education Minister, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2	Shri Ashok Sampatram, IAS, Addl. Chief Secretary to Govt., Agriculture & Animal Husbandry Deptt., Jaipur.
3	Shri Khemraj Chaudhary, IAS, Principal Secretary to Govt., Tribal Area Development Deptt., Jaipur.
4	Shri Jagdish Chandra Mohanty, Principal Secretary to Government, Medical Education, Sports and Youth Affairs Department, Jaipur.
5	Shri Sanjay Dixit, IAS, Principal Secretary to Govt., Ayurved Department, Jaipur.
6	Shri Prem Singh Mehra, IAS, Principal Secretary to Govt., Finance Deptt., Jaipur.
7	Shri Pawan Kumar Goyal, IAS, Principal Secretary to Govt., Sanskrit, Higher & Technical Education Deptt., Jaipur.
8	Shri Shrawan Sawhney,IAS, Commissioner, College Education & Ex-Officio Spl. Secretary to Govt., Higher Education Department, Jaipur.
9	Shri Hanuman Singh Bhati, IAS Vice Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur
10	Prof. Kailash Sodhani Vice Chancellor, JNV University, Jodhpur
11	Prof. I.V. Trivedi Vice Chancellor, MLS University, Udaipur
12	Prof. Vinay Kumar Pathak Vice Chancellor, Vardhman Mahaveer Open University, Kota
13	Prof. Kailash Sodhani Vice Chancellor MDS University, Ajmer
14	Dr. B.R. Chhipa Vice Chancellor, SKRAU, Bikaner
15	Dr. O.P. Gill Vice Chancellor, MPUAT, Udaipur.
16	Prof. Vinod Sharma Vice Chancellor, J.R.R. Sanskrit University, Jaipur.
17	Prof. (Dr.) Radhey Shyam Sharma Vice Chancellor, Dr. S.R. Rajasthan Ayurved University

18	Prof. Chandrakala Padia Vice Chancellor, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
19	Shri Onkar Singh, IAS Vice Chancellor, University of Kota, Kota
20	Prof. N.S. Vyas Vice Chancellor, Rajasthan Technical University, Kota
21	Dr. Raja Babu Panwar Vice Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur
22	Prof. A.K. Gahlot Vice Chancellor, Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner.
23	Shri Sunny Sebastian Vice Chancellor, Haridev Joshi University of Journalism & Mass Communication, Jaipur.
24	Shri M.L. Kumawat, IPS (Retd.) Vice Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.
25	Prof. U.C. Sankhla Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar Law University, Jaipur.
26	Shri T.C. Damor Vice Chancellor, Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur.
27	Dr. (Mrs.) Vimlesh Chaudhary Vice Chancellor, Shekhawati University, Sikar.
28	Prof. K.D. Swami Vice Chancellor, Maharaja Surajmal Brij University, Bharatpur.
29	Dr. M.R. Saini Vice Chancellor, Rajrishi Bhrithari Matsya University, Alwar.
30	Dr. L.S. Ranawat Vice Chancellor, Rajasthan Sports University, Jhunjhunu
31	Shri Hanuman Singh Bhati, IAS Vice Chancellor, SKN Agriculture University, Jobner
32	Dr. B.R. Chhipa Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur.
33	Shri Onkar Singh, IAS Vice Chancellor, Agriculture University, Kota.
34	Shri Giri Raj Singh, IAS, Principal Secretary to Governor - **Member Secretary**

विश्वविद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थितिः–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद		रिक्त पद	
		शैक्षणिक	अशैक्षणिक	शैक्षणिक	अशैक्षणिक
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	900	1985	348	871
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	659	.944	294	267.
3.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	268	422	126	157
4.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	37	304	4	27
5.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	48	339	29	45
6.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	47	59	12	20
7.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	34	93	10	90
8.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	30	138	13	67
9.	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक वि0वि0, जोधपुर	15	43	15	17
10.	हरिदेव जोशी जन संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर	30	40	21	20
11.	पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	–	53	–	53
12.	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	–	53	–	48
13.	राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर	30	34	30	34
14.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	–	53	–	50
15.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	–	53	–	45
16.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राज0 आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	41	167	02	87
17.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।	168	88	99	27
18.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	176	375	71	161
19.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	223	568	115	183
20.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	470	1222	226	367
21.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	312 10 ICAR	662	156 10 ICAR	289
22.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर	393	749	220	209
23.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	142	237	101	140
24.	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	153	250	58	129
25.	राजस्थान कीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	कुल योग	**4186**	**8931**	**1960**	**3403**

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये:–

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	रिक्त पदों को भरने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	–
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्रेषित
3..	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रेषित
4.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रेषित
5.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	–
6.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रेषित
7.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	–
8.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	–
9.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	–
10.	स्वामी केशवानन्द राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	–
11.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रेषित
12.	तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	–
13.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रेषित
14.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	प्रेषित
15.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय, विश्वविद्यालय, जोधपुर	प्रेषित
16.	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, जयपुर	प्रेषित
17.	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	–
18.	पं0 दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	प्रेषित
19.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	–
20.	राज. ऋषि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	–
21.	राजीव गांधी जन जातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर	प्रेषित
22.	राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनु	–
23.	कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	प्रेषित
24.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	–
25.	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	प्रेषित

विश्वविद्यालय का नाम	नवीन संघटक महाविद्यालय / नये विभाग / संकाय स्थापना हेतु राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	Faculty of Education, Faculty of Indic Studies
जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर तथा राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा, जयपुर को संघटक महाविद्यालय बनाने बाबत।
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	स्वपित्तपोषित योजना अंतर्गत संचालित विधि स्नातक महाविद्यालय को विभाग के रूप में भी स्वीकृति हेतु।
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	स्थानीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय घोषित करने हेतु।
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि अभियांत्रिकी, डेयरी विज्ञान संकायों तथा कृषि संकाय के अन्तर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव।
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	कृषि महाविद्यालय नागौर के स्थापना संबंधित प्रस्ताव।
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	दो नवीन संघटक महाविद्यालय : कृषि विश्वविद्यालय, अन्ता एवं डेयरी तकनीकी महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर खोलने के प्रस्ताव।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा सुधार हेतु

P-8 Programme

प' आठ (पाठ) योजना

(1) प्रवेश, (2) पढ़ाई, (3) परिसर/परिवेश (4) परीक्षा, (5) परीक्षण, (6) परिणाम, (7) पुनर्मूल्यांकन, (8) पदक एवं पदवी

1.प्रवेश	प्रवेश यानी Admission । विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु समयबद्धता का कड़ाई से अनुपालन किया जाऐ, ससमय प्रवेश कार्य आरम्भ हो और निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाऐ। प्रवेश प्रकिया में पूर्ण शुचिता बनाए रखी जाये। निर्धारित मापदण्ड़ों के विपरीत जाकर या पिछले दरवाजे (Backdoor Entry) के मामले पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाऐ। प्रवेश के समय ही पूरे वर्ष का शैक्षणिक कलेण्डर तैयार हो जाना चाहिए और उसे छात्रों को वितरित भी करने की व्यवस्था की जाये।
2.पढ़ाई	पढ़ाई यानी Study । सभी विश्वविद्यालयों में विभिन्न संकायो के पाठ्यक्रमों में समरूपता बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों के निर्धारण के समय इस बात का ध्यान रखा जाये की वे प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को सफलता दिलाने में सहायक हो। नियमित रूप से कक्षाये चलाई जाऐ। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाऐ तथा निर्धारित उपस्थिति प्राप्त न करने वाले छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति न दी जाऐ। छात्रों की उपस्थिति की/अनुपस्थिति की नियमित सूचना अभिभावकों को भेजने की व्यवस्था निर्धारित की जाऐ। स्मार्ट

	क्लासरूम चरणबद्व तरीके से विकसित किए जाये जो कम से कम पोडियम, LCD Projector/ Screen Projector , Sound support System जैसी सुव्धिाओं से लैस हों ही। कक्षाओं में प्राध्यापकों की उपस्थिति पर भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाऐ। यदि कोई प्राध्यापक अवकाश पर है तो उसके प्रतिस्थानी तैनात किये जाऐ। किसी भी दशा में छात्र अध्यापकों की अनुपस्थिति की वजह से परिसर मे इधर–उधर घूमते नहीं मिलने चाहिए। प्राध्यापकों को अध्यापन की नई–नई तकनीक और विषयों के अद्यतन ज्ञान से भिज्ञ कराने के लिए Refresher Course आयोजित किये जाऐ। प्रशासनिक पदों पर तैनाती में पारदर्शी नीति बनाई जाये जिसमें वरिष्ठता एवं योग्यता को महत्व दिया जाये। ट्यूशन करने वाले प्राध्यापकों पर कड़ी नजर रखी जाये, उन्हे चिन्हित किया जाये तथा उनके विरूद्व कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये।
3.परिसर / परिवेश	परिसर / परिवेश यानि Atmosphere । पूरे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाये रखने का प्रयास किया जाये। विश्वविद्यालय परिसर में असामाजिक गतिविधियों पर कठोर नियन्त्रण रखा जाऐ और उनसे सख्ती से निपटा जाये। छात्राओं के साथ छेड़खानी, छात्रों की बीच गुटबाजी, रैगिंग एवं गुण्डागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दास्त न किया जाए। अपराधिक प्रवृति के छात्रों का चिन्हिकरण किया जाये और उन पर सख्त कार्यवाही की जाये। विश्वविद्यालय छात्रावासों में अनाधिकृतरूप से रह रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। छात्रसंघों के चुनाव सत्र के प्रारम्भ में ही करा लिये जाये तथा लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं पर सहमति बनाई जाये। महाविद्यालयऔर विश्वविद्यालय के परिसर को No tobacco/No smoking zone धोषित किया जाये। Digital India के concept पर काम करते हुए महांविद्यालय और विश्वविद्यालय के परिसर में ईन्टरनेट और वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जाये। कैम्पस की साफ सफाई पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष ध्यान दिया जाये और आदर्श स्वच्छ कैम्पस के रूप में विकसित किया जाये। इन सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV Camera परिसर में यथोचित स्थान पर लगाये जाने की योजना तैयार की जाये। लाइब्रेरी, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाये।

4.परीक्षा	परीक्षा यानी Exam । परीक्षा की शुचिता एवं गंभीरता के साथ कोई समझौता न किया जाये। परीक्षाऐं नकल विहीन सम्पन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाये । सामूहिक नकल कराना एक गिरोहबन्द जैसा अपराध है। सामूहिक नकल में संलिप्त पाये जाने वाले विश्वविद्यालय के प्रसाशनिक अधिकारियों सहित सभी दोषियों पर कानून के तहत कार्यवाही में कोई संकोच न किया जाये। समय पूर्व प्रश्नपत्र लीक न हो इसके लिए नई तकनीकी का प्रयोग करते हुऐ Full proof system develop किया जाये और ऐसे कार्यो को अंजाम देने वालों के विरूद्व आई.पी.सी. की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाये। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण चार या पॉच महाविद्यालय का ग्रुप बना कर सुनिश्चित किया जाये।
5.परीक्षण	परीक्षण यानी Valuation । उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण एवं मूल्याकंन अत्यन्त पवित्रता व उत्तरदायित्व का कार्य है। अयोग्य/लापरवाह परीक्षकों को इस प्रकार के दायित्व से अलग रखा जाये। केन्द्रीयकृत मूल्याकंन पद्वति पर भी विचार किया जाये। उतरपुस्तिकाओं के परीक्षण एवं मूल्याकंन में गुणवत्ता बनाए रखी जाये और यह ध्यान रखा जाये की परीक्षार्थी को उसके द्वारा दिये गये उत्तर के सापेक्ष अंक अवश्य प्राप्त हो। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन के लिए निर्धारित मानदेय को भी पुर्ननिर्धारित करने पर विचार किया जाये।
6.परिणाम	परिणाम यानी Result । परीक्षाओं के परिणाम समय से घोषित हों और यह ध्यान रखा जाये की उसमें त्रुटियों की कोई गुंजाईश न रहे। परिणाम घोषित होने से पूर्व इसके लीक होने से रोकने तथा गोपनीयता बनाये रखने पर विशेष सावधानी बरती जाये। परीक्षा के त्रुटिपूर्ण घोषित परिणाम कभी–कभी छात्रों को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है अतः परीक्षा परिणामों में Zero error लाने का प्रयास किया जाये

7.पुनर्मूल्याकंन	पुनर्मूल्याकंन यानी Revaluation । उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याकंन की व्यवस्था निर्धारित है। पुनर्मूल्याकंन के कार्य को और भी गंभीरता एवं पाक साफ तरीके के साथ सम्पादित कराया जाये। यदि प्रथम मूल्याकंन और पुनर्मूल्याकंन के परिणामों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरणों को तीसरे परीक्षक को सन्दर्भित किया जाये। यदि तीसरे मूल्यांकन में प्रथम मूल्याकंन और पुर्नमूल्याकंन में से किसी एक की पुष्टि होती है तो दूसरे परीक्षक को अयोग्य घोषित करते हुऐ, ब्लेक लिस्ट करने एवं किसी भी विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका के मूल्याकंन से कम से कम एक वर्ष के लिए Debar करने पर विचार किया जाये।
8.पदक एवं पदवी	Degree/उपाधि समय से तैयार की जाये और वर्षान्त में पूर्व निर्धारित तिथि पर उनके वितरण की व्यवस्था की जाये एवं दीक्षान्त समारोह नियमित रूप से आयोजित किये जाये। मेधावी छात्रों के पदक ससमय प्रदान करने की विलम्ब रहित एवं गरिमपूर्ण रीति–नीति तय की जाये।